



17/7/23



पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वकुलाय उभय पक्षों सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान मौके पर पूर्व से ही बाहमी बटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काशत है तथा कब्जा काशत अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/ भू.अ./2022/5635 दिनांक 14.09.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक काबिज खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)